"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2019—ज्येष्ठ 31, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 जून 2019

क्रमांक एफ 5-8/2018/1(एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द सिंह चंदेल, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 08-04-2019 से 18-04-2019 (11 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 06-04-2019 तथा 07-04-2019 एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 19-04-2019, 20-04-2019 तथा 21-04-2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जून 2019

क्रमांक एफ 1-46/2013/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. संजीव शुक्ला, (भापुसे-2004), पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, अटल नगर, रायपुर को दिनांक 15-07-2019 से 19-07-2019 (कुल 05 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही दिनांक 13, 14, 20 एवं 21 जुलाई 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. संजीव शुक्ला आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. शुक्ला को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शुक्ला (भापुसे-2004) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. संजीव शुक्ला, (भापुसे-2004), पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, अटल नगर, रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, अटल नगर, रायपुर का चालू प्रभार श्री एस.सी. द्विवेदी, भापुसे पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, अटल नगर, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, रायपुर दिनांक 30 मई 2019

क्रमांक एफ 6-88/2009/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 (1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने हेतु अधिसूचित करता है :—

क्र.	सेवा प्रदाता के रूप में अनुशंसित जिले का नाम	अनुशंसित संस्था का नाम	पूरा पता	रिमार्क
1.	राजनांदगांव	सृजन सामाजिक संस्थान राजनांदगांव.	ममता नगर, गली नं. 05 पंचशील कॉलोनी, राजनांदगांव.	नवीनीकरण हेतु
2.	राजनांदगांव	सोशल ऑर्गेनाईजेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ, डोंगरगढ़.	132, भीम नगर, वार्ड क्र. 07, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव.	नवीनीकरण हेतु
3.	दुर्ग	कल्याणी सोशल वेलफेयर रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन, भिलाई.	कल्याणी सोशल वेलफेयर रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन, भिलाई.	नवीनीकरण हेतु

अधिसूचित संस्थायें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेंगी. साथ ही पीड़ित को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा एवं आवश्यकतानुसार आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करायेंगी. संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार/मांगे जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

उक्त आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, रायपुर दिनांक 1 जून 2019

क्रमांक एफ 10-6/2019/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित निम्मलिखित योजनाओं को अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त करती है :—

(1) असंगठित कर्मकार विवाह योजना

(2) सफाई कर्मकार विवाह सहायता योजना

(3) ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह सहायता योजना

अटल नगर, रायपुर दिनांक 13 जून 2019

क्रमांक एफ 10-15/2017/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 33(2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11(2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-07-2017 द्वारा पंजीकृत/अभिदायदाता कर्मचारियों के लिए संचालित कन्या विवाह सहायता योजना को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. पुरबिया, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 मई 2019

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/2842भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	उदेला ग्राम पंचायत-मोलसनार	22.41 हेक्ट.	सिंचाई जलाशय निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-05-2019 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत-मोलसनार में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	उदेला जलाशय
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	19 भूमि स्वामी
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	470.91 (लाख में)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	रु. 5.00 लाख भू-अर्जन शाखा में जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 मई 2019

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/2844भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
दन्तेवाड़ा	कुआकोण्डा	नकुलनार	5.22 हेक्ट.	सिंचाई जलाशय निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-05-2019 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत-नकुलनार में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	उदेला जलाशय
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	23 भूमिस्वामी
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	118.58 (लाख में)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	रु. 5.00 लाख भू-अर्जन शाखा में जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 13 मई 2019

क्रमांक/1359/अ-82/2018-19/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	कोण्डागांव	2.169	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	अटल बिहार योजना अन्तर्गत जामकोटपारा कोण्डागांव में गृह निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 28 फरवरी 2019

क्रमांक 1457/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-बलरामपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिरकोमा, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
198/1	0.08
200	0.04
201	0.02

(1)	(2)
199/3	0.10
255/3	0.04
198/2	0.08
203/3	0.04
202	0.17
206	0.30
208	0.01
257	0.08
269/2	0.12
205/2	0.02
269/1	0.12
योग 14	1.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुटपाली व्यपवर्तन योजना के चिरकोमा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 28 फरवरी 2019

क्रमांक 1458/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-बलरामपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पुटसुरा, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1172	0.08
1371	0.22
1358	0.01
1373	0.04
1516	0.04
1448	0.10
1444	0.03
1446	0.12
1513	0.07
1515	0.06
1187	0.08
1518	0.10
1520	0.04
1451	0.01
1186	0.08
1445	0.17
1450	0.07
1520	0.04
1722	0.16
1519	0.02
1374/1	0.14
1291	0.22
1161	0.06
योग 23	1.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुटपाली व्यपवर्तन योजना के चिरकोमा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 28 फरवरी 2019

क्रमांक 1459/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-बलरामपुर
- (ग) नगर/ग्राम-महराजगंज, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1966	0.01
	1967	0.14
	2052	0.04
	2058	0.02
	2056	0.27
	2059	0.22
	2051	0.20
	2203	0.04
	2204	0.10
	2205	0.30
योग	10	1.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुटपाली व्यपवर्तन योजना के चिरकोमा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 28 फरवरी 2019

क्रमांक 1460/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-बलरामपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पिपरसोंत, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	262	0.12
	257	0.16
	258	0.42
	234	0.02
	222	0.02
	254	0.05
	220	0.02
	223	0.06
	226	0.03
	236	0.04
	241	0.12
	212	0.05
	232	0.01
	144/1	0.03
	146/1	0.06
	213/1	0.01
	214	0.10
	248	0.18
	228	0.03
	231	0.06
	252	0.06
	221	0.03
	240/2	0.04
	144/2	0.03
	146/2	0.06
	213/2	0.01
योग	26	1.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुटपाली व्यपवर्तन योजना के चिरकोमा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 28 फरवरी 2019

क्रमांक 1461/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
(ख) तहसील-बलरामपुर
(ग) नगर/ग्राम-चन्दरपुर, प.ह.नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124	0.16
136	0.85
133	0.06
208/2	0.08
134	0.06
144	0.02
205	0.01
216	0.58
137/3	0.10
137/4	0.10
137/1	0.11
137/2	0.10
139	0.06
147	0.02
212	0.02
217	0.38
140	0.06
214	0.55
142	0.22
122	0.08
129	0.01
143	0.06
135	0.06
145	0.02
209/1	0.09
211	0.02
218	0.12
145	0.02
213	0.02
148	0.45
149/1	0.23
149/2	1.20
150	0.12
151	0.18
208/1	0.32
209/2	0.08
123	0.32
27	0.07
33	0.04
210	0.161
138	0.39
152/1	0.72
152/2	0.10
योग 43	9.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खुटपाली व्यपवर्तन योजना के चिरकोमा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हीरा लाल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 9 मई 2019

क्रमांक/3224/भू-अर्जन/2019.—कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर द्वारा हीरापुर से टाटीबंध 4 लेन सड़क निर्माण 1.50 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य हेतु ग्राम जरवाय उर्फ हीरापुर की भूमि कुल खसरा 11 कुल रकबा 1074.20 वर्गमीटर भूमि को आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत् निम्नलिखित भूमि स्वामी की उनके नाम के समक्ष अंकित ग्राम जरवाय उर्फ हीरापुर, तहसील रायपुर की निजी भूमि क्रय किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. संबंधित भूमि स्वामियों से प्रारूप "ख" में भूमि विक्रय करने

के संबंध में स्वीकृति प्राप्त किया जा चुका है :—

क्र. (1)	भूमिस्वामी का नाम/पता (2)	खसरा नम्बर (3)	रकबा (व.मी. में) (4)
1.	आशीर्वाद बिल्डर्स इन्वेस्टर्स प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर विजय बोथरा पिता संपतलाल बोथरा, न्यू सेन्ट्रल एवेन्यू चौबे कालोनी, रायपुर.	779/3	261.00
2.	श्रीमती एलीजा बेथ पति सी. के. कुरूविला, हीरापुर जरवाय, रायपुर	779/4, 779/5	183.60
3.	श्रीमती मीना चौबे पति श्री रामचंद्र चौबे, एम.आई.जी. 114, टाटीबंध, रायपुर.	781/34	62.00
4.	श्री रवि थामस पिता एम.ए. एंथोनी, हीरापुर जरवाय, रायपुर	648/18	77.00
5.	श्रीमती शैल पति एन.आर.अग्रवाल, निवासी विवेक आपार्टमेंट, नागपुर, महाराष्ट्र.	648/7	13.71
6.	श्रीमती गायत्री देवी पति जगजाहिर लाल तिवारी, जगजाहिर लाल तिवारी पिता राजभान तिवारी, निवासी ए.सी.सी. कालोनी जामुल.	781/120	23.76
7.	सूर्या सामाजिक जन कल्याण समिति, रायपुर रजि.नं. 323/9/10/90 द्वारा ज्योति पति संजय अग्रवाल निवासी चौबे कालोनी, रायपुर.	651/23	58.50
8.	आगम इन्वेस्टमेंट भागीदार संस्था द्वारा भागीदार वरूण जैन पिता विमलचंद जैन वो अक्षय जैन पिता कमलचंद जैन, निवासी-525, 526 रविभवन, रायपुर.	781/135	265.78
9.	आदित्य कुमार जैन पिता कमलचंद जैन, निवासी चौबे कालोनी, रायपुर	781/97	61.72
10.	गौरव चन्द्रकांत वो वैभव चन्द्रकांत पिता स्व. चन्द्रकांत नायक कालिया, श्रीमती रोहिणी चन्द्रकांत कालिया पति स्व. चन्द्रकांत नायक कालिया.	648/33	41.08
11.	तेजिन्दर पाल सिंग, हरप्रीत सिंग, मनप्रीत सिंग सभी पिता कुलदीप सिंग निवासी पंडरी, रायपुर.	781/149	26.05
	योग		**1074.20**

उक्त सूचना जारी दिनांक 9-5-2019 से 15 दिवस तक किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की स्वत्व संबंधी आपत्ति हो तो लिखित में कार्यालय कलेक्टर, रायपुर में प्रस्तुत किया जा सकता है. 15 दिवस के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

हस्ता./-
कलेक्टर.

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा

ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

अटल नगर, रायपुर दिनांक 1 अप्रैल 2019

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 02/2019

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2019/52.—राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से चयनित एवं परिवीक्षा पर नियुक्त परिवीक्षाधीन सहायक संचालक के लिए विभागीय परीक्षा भाग-दो दिनांक 11-03-2019 से 14-03-2019 तक आयोजित की गई. परीक्षा में अर्जित प्राप्तांक के आधार पर निम्नांकित सहायक संचालक विभागीय परीक्षा भाग-दो में उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं :—

क्र.	रोल नम्बर	सहायक संचालक का नाम
1.	201901	श्री जितेन्द्र कुमार पैकरा

हस्ता./-
आयुक्त सह संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th April 2019

No. 4996/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).— In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrar First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate Second Class	Present place of posting	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ku. Akanksha Thakur, J.M.S.C., Kanker	Kanker	Uttar Bastar Kanker
2.	Shri Arun Norge, J.M.S.C., Kanker		
3.	Shri Girivar Singh Rajput, J.M.S.C., Janjgir	Janjgir	Janjgir-Champa
4.	Ku. Payal Topno, J.M.S.C., Janjgir		
5.	Shri Manoj Kumar Kushwaha, J.M.S.C., Janjgur		
6.	Ku. Kiran Panna, J.M.S.C., Janjgir,		
7.	Ku. Prerna Ahire, J.M.S.C., Jagdalpur	Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur
8.	Shri Ravi Kumar Kashyap, J.M.S.C., Jagdalpur		
9.	Ku. Preeti J.M.S.C., Jagdalpur		
10.	Shri Rakesh Singh Sori, J.M.S.C., Jagdalpur		
11.	Shri Ishan Vyas, J.M.S.C., Jagdalpur		

Bilaspur, the 29th April 2019

No. 4998/Checker/III-6-2/2007.— In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act, No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present place of posting	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ku. Akanksha Thakur, J.M.F.C., Kanker	Kanker	Uttar Bastar Kanker
2.	Shri Arun Norge, J.M.F.C., Kanker		

Bilaspur, the 7th May 2019

No. 499/Confdl./2019/II-1-2-/2019.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/02/2019-US.II dated 30-04-2019 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice P. R. Ramachandra Menon, Judge of the Kerala High Court has assumed charge of the office of the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of 06th May, 2019.

Bilaspur, the 14th May 2019

No. 567/Confdl./2019/II-3-14-/2000 (Pt.-III).—On the application of Smt. Swarnalata Toppo, Member of Higher Judicial Service, presently posted as Additional Judge to the Court of III Additional District & Sessions Judge, Bilaspur, she is hereby, permitted to change the spelling of her name as "Smt. Swarnlata Toppo" in place of "Smt. Swarnalata Toppo" and to incorporate the name of her husband "Shri Venseslas Toppo" in place of her father's name "Shri Junas Tirki" in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

Bilaspur, the 27th March 2019

No. 418/Confdl./2019/II-1-5-/2018.—Hon'ble Shri Justice Ajay Kumar Tripathi, Chief Justice, High Court of Chhattisgarh, relinquished the charge of the office of Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of 27th March, 2019 upon his Lordship's appointments as Member (Judicial), Lokpal.

Bilaspur, the 27th March 2019

No. 420/Confdl./2019/II-1-5-/2009.—Hon'ble Shri Justice Prashant Kumar Mishra, Senior-most Judge of the Chhattisgarh High Court has assumed the charge of the office of Chief Justice (Acting) of the Chhattisgarh High Court at 12.00 noon on 27th of March, 2019 as per the Government of India Notification No. K-11019/04/2019-US.I dated 22nd March, 2019 issued by the Joint Secretary, Ministry of Law & Justice (Department of Justice), Jaisalmer House, 26 Man Singh Road, New Delhi.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
DEEPAK KUMAR TIWARI, I/C. Registrar General.